महिला श्रमबल भागीदारी की राह में बाधाएँ

प्रिलिम्स के लिये:

महिला श्रम बल भागीदारी, वैतनिक असमानताएँ, लैंगिक असमानता, महिला श्रम बल भागीदारी दर, मानव पूंजी विकास

मेन्स के लिये:

महिला श्रम बल भागीदारी की राह में बाधाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने **महिलाओं के अवैतनिक श्रम को मान्यता प्रदान** करते हुए महिलाओं के लिये **कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगई थिट्टम,** एक बुनियादी आय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए दिये जाएंगे।

- वैवाहिक जीवन में एक महिला बच्चे को जन्म देने के साथ-साथ उसका पालन-पोषण करती है तथा घर का भी ध्यान रखती है, महिलाओं को इस अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम के लिये कोई भुगतान नहीं किया जाता है, ऐसे में **श्रम बल में उनकी भागीदारी** में बाधा आती है।

महिला श्रम बल भागीदारी में कमी का कारण:

- **पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रथा:**
  - पितृसत्तात्मक मानदंड और **लैंगिक आधार पर निर्दिष्ट पारंपरिक भूमिकाएँ अक्सर महिलाओं की शिक्षा** और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच को सीमित करती हैं।
  - **गृहणी के रूप में महिलाओं की भूमिका के संबंध में सामाजिक अपेक्षाएँ** श्रम बल में उनकी सक्रिय भागीदारी को हतोत्साहित करती है।
- **पारिश्रमिक में अंतर:**
  - भारत में महिलाओं को अक्सर समान काम के लिये **पुरुषों की तुलना में वैतनिक असमानता/कम वेतन की समस्या** का सामना करना पड़ता है।
  - वैश्विक असमानता रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, भारत में 82% श्रम आय पर पुरुषों का कब्ज़ा है, जबकि श्रम आय पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 18% है।
  - वेतन का यह अंतर महिलाओं को औपचारिक रोज़गार के अवसर तलाशने से हतोत्साहित कर सकता है।
- **अवैतनिक देखभाल कार्य:**
  - अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य का **महिलाओं पर असंगत रूप से दबाव पड़ता है** , जिससे भुगतान वाले रोज़गार के लिये उनका समय और ऊर्जा सीमित हो जाती है।
    - भारत में विवाहित महिलाएँ **अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम पर प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक समय** का योगदान करती हैं, जबकि **पुरुष 3 घंटे से भी कम** समय का योगदान करते हैं।
    - यह प्रचलन (महिलाओं की स्थिति) विभिन्न आय स्तर और जाति समूहों में समान रूप से देखा जा सकता है, जिससे घरेलू ज़िम्मेदारियों के मामले में गंभीर लैंगिक असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - घरेलू ज़िम्मेदारियों का यह असमान वितरण श्रम बल में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भागीदारी में बाधा बन सकता है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह:**
  - कुछ समुदायों में घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है जिससे श्रम बल भागीदारी दर कम हो सकती है।

महिलाओं द्वारा अवैतनिक घरेलू कार्य/देखभाल संबंधी आँकड़े:

- **महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):**
  - कक्षा **10 में लड़कियों** की नामांकन दर में वृद्धि के बावजूद पिछले दो दशकों में भारत की**महिला श्रम बल भागीदारी दर 30% से घटकर**

24% हो गई है।

- घरेलू काम का बोझ महिला श्रम बल भागीदारी दर को कम करने में **एक प्रमुख कारक है,** यहाँ तक कि शिक्षित महिलाओं में भी।
  - **भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (24%) ब्रिक्स देशों और चुनिंदा दक्षिण एशियाई देशों** में सबसे **कम** है।
  - सबसे अधिक महिला आबादी वाला देश **चीन 61% के साथ सबसे अधिक महिला श्रम बल भागीदारी दर** का दावा करता है।

- **महिला रोज़गार पर प्रभाव:**
  - जो महिलाएँ श्रम बल में शामिल नहीं हैं, वे प्रतिदिन औसतन 457 मिनट (7.5 घंटे) यानी**सबसे अधिक समय अवैतनिक घरेलू/देखभाल कार्य पर खर्च** करती हैं।
  - नौकरीपेशा महिलाएँ इस तरह के कामों में**प्रतिदिन 348 मिनट (5.8 घंटे) खर्च** करती हैं, जिससे **भुगतान वाले काम में संलग्न होने की उनकी क्षमता** प्रभावित होती है।

An unequal burden

The charts are based on data collated from the World Bank website and the Time Use Survey (2019) by the National Sample Survey Office

Chart 1 | The chart shows female LFPR in India and the enrolment rate for girls in Class 10 since 1990

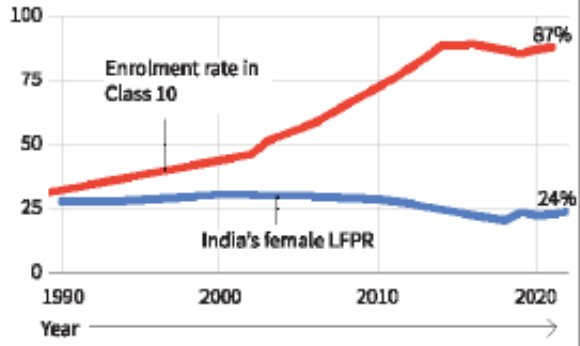

Chart 2 | The chart compares India's 2022 female LFPR to that of other BRICS countries and select South Asian countries

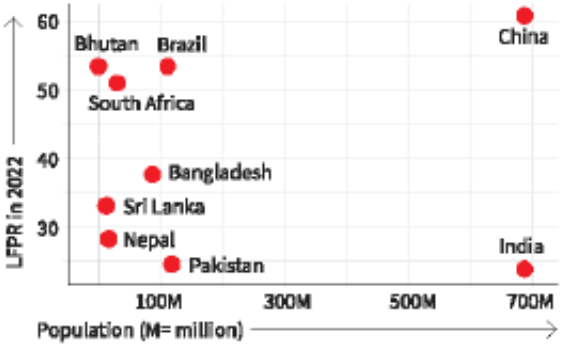

Chart 3 | Average time (in minutes) spent on unpaid care during a day for men and women across employment groups

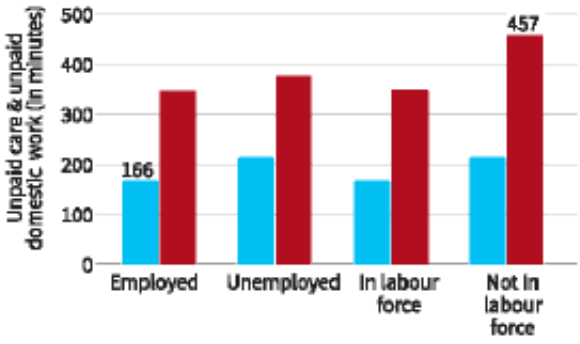

Chart 4 | Average time spent (in minutes) on unpaid care in a day by men and women categorised by marital status

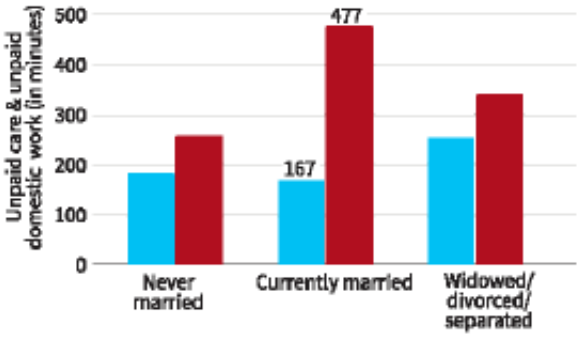

Anushka Kataruka and Hashika Sharma are interning with The Hindu Data Team

//

श्रम बल में महिलाओं की उच्च भागीदारी का समाज पर व्यापक प्रभाव:

- **आर्थिक विकास:**
  - श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी सीधे **आर्थिक विकास से संबंधित** है। जब महिला आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से का **उपयोग कम हो जाता है तो इसके परिणामस्वरूप संभावित उत्पादकता और** आर्थिक उत्पादन **का नुकसान होता है।**

- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि **उच्च** [सकल घरेलू उत्पाद](#) **(Gross Domestic Product- GDP)** और समग्र आर्थिक समृद्धि में **योगदान** कर सकती है।

- **गरीबी का न्यूनीकरण:**
  - महिलाओं को आय-अर्जित करने के अवसरों तक पहुँच प्रदान करने से **यह उनके परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने में मदद कर सकती है** जिससे जीवन स्तर बेहतर हो सकता है तथा परिवारों की स्थिति में सुधार हो सकता है।
- **मानव पूंजी विकास:**
  - शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएँ अपने बच्चों की **शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं** जिसके अंतर-पीढ़ीगत लाभ हो सकते हैं।
- **लैंगिक समानता और सशक्तीकरण:**
  - श्रम बल में महिलाओं की उच्च भागीदारी से पारंपरिक **लैंगिक भूमिकाओं और मानदंडों को चुनौती दी जा सकती है** जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सकता है।
  - आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं को अपने जीवन, निर्णय लेने की शक्ति और स्वायत्तता पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है।
- **प्रजनन क्षमता और जनसंख्या वृद्धि:**
  - अध्ययनों से पता चला है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से प्रजनन दर में कमी आती है।
  - 'फर्टिलिटी ट्रांज़िशन' के नाम से जानी जाने वाली इस घटना का संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन तक बेहतर पहुँच से है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का अधिक सतत् विकास होता है।
- **लिंग आधारित हिंसा में कमी:**
  - आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं की सौदेबाज़ी की शक्ति को बढ़ा सकता है तथा **लिंग आधारित हिंसा** और अपमानजनक रीतियों **के प्रति** उनकी **संवेदनशीलता** को कम कर सकता है।
- **श्रमिक बाज़ार और टैलेंट पूल:**
  - श्रमबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने से **कौशल की कमी और श्रमिक बाज़ार के असंतुलन** को दूर करने में सहायता मिल सकती है, जिससे प्रतिभा और संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन हो सकेगा।

महिला सशक्तीकरण से संबंधित सरकारी योजनाएँ:

- [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना](#)
- [वन स्टॉप सेंटर योजना](#)
- [स्वाधार गृह](#)
- [नारी शक्ति पुरस्कार](#)
- [महिला पुलिस स्वयंसेवक](#)
- [महिला शक्ति केंद्र (MSK)](#)
- [निर्भया फंड](#)

आगे की राह

- लैंगिक समानता से संबंधित चर्चा के मुद्दे पर **महिलाओं के घरेलू कार्य और कार्यात्मक जीवन में विभाजन** करना बंद करके महिलाओं के औपचारिक एवं अनौपचारिक सभी कार्यों को महत्त्व देना होगा।
- **सांस्कृतिक संदर्भ और** स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिये कार्य विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
- **महिलाओं की श्रम शक्ति में उच्चतर सहभागिता** को बढ़ावा देना और समर्थन करना न केवल लैंगिक समानता का मामला है, बल्कि **सामाजिक प्रगति और विकास का एक महत्त्वपूर्ण संचालक** भी है।
- **कार्यबल में महिलाओं की संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने से सामाजिक-आर्थिक विकास** , निर्धनता में कमी, बेहतर मानव पूंजी और अधिक समावेशी एवं न्यायसंगतता से संपूर्ण समाज को फायदा हो सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017)

(a) विश्व आर्थिक मंच
(b) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
(c) संयुक्त राष्ट्र महिला (UN वुमन)
(d) विश्व स्वास्थ्य संगठन

उत्तर: (a)

मेन्स:

प्रश्न: "महिलाओं का सशक्तीकरण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।" विवेचना कीजिये। (2019)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/barrier-to-women-s-labor-force-participation